रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102022-239808
CG-DL-E-21102022-239808

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 20, 2022/आश्विन 28, 1944
No. 270] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 20, 2022/ASVINA 28, 1944

www.royalpatiala.in

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2022

शक्ति नीति के पैरा बी(v) के अंतर्गत वित्तपोषण, स्वामित्व तथा प्रचालन (एफओओ) आधार पर विद्युत की खरीद के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत दिशा-निर्देश

सं. 23/03/2022-आरएंडआर.—

1 पृष्ठभूमि

1.1. प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए पारदर्शी तथा उद्देश्यपरक मानदंडों के आधार पर कोयले के संयोजन के उद्देश्य से पूरे देश में ताप विद्युत संयंत्रों को उपलब्ध कोयला आवंटित करने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 22 मई, 2017 को नए नीतिगत दिशा-निर्देश अर्थात् स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया ("शक्ति नीति" के रूप में संदर्भित) को प्रस्तुत किया गया था।

1.2. शक्ति नीति के पैरा बी(v) में निम्नानुसार उपबंध किया गया है:

"राज्यों के समूह की विद्युत आवश्यकता को भी एकीकृत किया जा सकता है तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा नामित या ऐसे राज्यों द्वारा प्राधिकृत एजेंसी द्वारा टैरिफ आधारित बोली के आधार पर ऐसी एकीकृत की गई विद्युत की खरीद की जा सकती है। ऐसी एजेंसियों के लिए कोयला लिंकेज की उपलब्धता को विवरण सहित पूर्व-घोषित करते हुए निर्धारित किया जाएगा, जिसके आधार पर ऐसी एजेंसी विद्युत की दीर्घावधि तथा मध्यम अवधि खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली आयोजित करेगी और सफल बोलीदाताओं को ये

लिंकेज प्रदान करने की सिफारिश करेगी। इससे संबंधित क्रियापद्धति को विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाएगा।"

1.3. तत्पश्चात, विद्युत मंत्रालय ने "संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं के मुद्दे के समाधान के लिए गठित उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) की विशिष्ट सिफारिशों की जांच के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों पर सरकार का अनुमोदन" विषय पर दिनांक 8.3.2019 को कार्यालय ज्ञापन संख्या एल-2/2018-आईपीसी (भाग 4) जारी किया तथा कथित उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2.1 (ग) में यह उल्लेख है कि:

"उपर्युक्त शक्ति नीति के पैरा बी (v) के प्रावधान ऐसे मामलों में भी लागू होंगे जिसमें विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट नोडल एजेंसी, राज्यों के समूह के लिए, ऐसे राज्यों से मांग के बिना भी विद्युत मांग को समेकित करती हैअधिप्राप्त करती है।"

1.4. तदनुसार, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 11 मई, 2022 के पत्र द्वारा कोयला मंत्रालय को "शक्ति नीति के पैरा बी(v) के प्रावधानों के अनुसार कोयले के आवंटन की कार्य पद्धति" से अवगत कराया है।

1.5. पूर्वोक्त कार्य पद्धति के पैरा 3 (ज) में यह व्यवस्था है कि कोयला कंपनियों द्वारा सूचित कोयले के स्रोतों के आधार पर नोडल एजेंसी विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर विद्युत की दीर्घावधि या मध्यम अवधि खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली कराएगी। ये दिशा-निर्देश इस अपेक्षा की पूर्ति के लिए जारी किए जा रहे हैं।

2 उद्देश्य

इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य शक्ति नीति के पैरा बी(v) के अनुसार कोयला लिंकेज वाले राज्यों के समूह की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति के लिए पारदर्शी बोली के माध्यम से नोडल एजेंसी द्वारा विद्युत की दीर्घावधि तथा मध्यम अवधि आधार पर खरीद की सुविधा प्रदान करना है।

3 दिशा-निर्देशों का प्रयोजन

ये दिशा-निर्देश विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यों/वितरण अनुज्ञप्तिधारियों (खरीददार) द्वारा निम्नलिखित के लिए विद्युत की खरीद के लिए जारी किए जा रहे हैं:

(क) 12 वर्ष से 15 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत की दीर्घावधि खरीद;

(ख) 1 वर्ष से अधिक किंतु 7 वर्ष तक की मध्यमावधि खरीद।

ये दिशा-निर्देश शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

4 आपूर्ति का आरम्भ

संविदा के अंतर्गत आपूर्ति आरम्भ करने की तिथि मध्यम अवधि संविदा के लिए 120 दिनों से कम तथा दीर्घावधि अनुबंध के लिए 1460 दिनों से कम नहीं होगी।

5 नोडल एजेंसी

5.1 नोडल एजेंसी इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत शक्ति नीति के पैरा बी(v) के अंतर्गत विद्युत की खरीद के लिए बोली प्रक्रिया के संचालन के लिए उत्तरदायी होगी।

5.2 शक्ति नीति के पैरा बी(v) के अंतर्गत विद्युत की खरीद के प्रयोजन हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। वैकल्पिक रूप से, राज्यों का समूह भी अपनी पसंद की नोडल एजेंसी नियुक्त कर सकता है।

5.3 सभी प्रत्याशित बोलीदाता बोली दस्तावेजों के अनुसार नोडल एजेंसी को 8000 रुपये (आठ हजार रुपये) प्रति मेगावाट जमा लागू करके अपेक्षित शुल्क का भुगतान कर ई-बोली प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। बोली प्रक्रिया के

www.royalpatiala.in

पूरा होने अर्थात् सफल बोलीदाता को अवार्ड पत्र जारी होने के बाद, केवल सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) को प्रत्येक सफल बोलीदाता को आवंटित मात्रा के समतुल्य प्रभारों का भुगतान करना होगा। नोडल एजेंसी द्वारा शेष राशि बोली प्रक्रिया पूरी होने के सात (7) कार्य दिवसों के भीतर बिना किसी ब्याज के वापस की जाएगी। नोडल एजेंसी द्वारा अचयनित बोलीदाताओं द्वारा जमा किया गया शुल्क भी बोली प्रक्रिया के पूरा होने अर्थात सफल बोलीदाता को अवार्ड पत्र जारी होने के सात (7) कार्य दिवसों के भीतर बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।

6 बोली आमंत्रण की तैयारी

6.1 नोडल एजेंसी विद्युत की आपूर्ति की आरंभ तिथि सहित मात्रा (मेगावाट) तथा समयावधि (अवधि) के संदर्भ में मध्यम अवधि या दीर्घावधि आधार के लिए राज्यों के किसी समूह की विद्युत की आवश्यकता को एकीकृत करेगी। नोडल एजेंसी राज्यों के साथ परामर्श के आधार पर व्यापक मांग मूल्यांकन आधारित राज्यों के समूह हेतु दीर्घावधि या मध्यम अवधि की विद्युत की खरीद शुरू कर सकती है।

6.2 खरीदी जाने वाली विद्युत की मात्रा तथा अवधि के आधार पर, नोडल एजेंसी सीईए मानदंडों तथा आपूर्ति की अनुमानित प्रारंभ तिथि के आधार पर आवश्यक स्वदेशी कोयले की मात्रा की गणना करेगा।

6.3 विद्युत मंत्रालय कोयला आपूर्ति की अवधि तथा अनुमानित आरंभ तिथि सहित कोयले की आवश्यकता के अनुरोध पर और अधिक विचार-विमर्श हेतु कोयला मंत्रालय को भेजेगा।

6.4 नोडल एजेंसी से प्राप्त मांग के अनुसार कोयले के स्रोत कोल इंडिया लिमिटेड और/या इसकी किसी सहायक कंपनी या सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड द्वारा चिन्हित किए जाएंगे तथा नोडल एजेंसी को आशय पत्र जारी किया जाएगा।

7 टैरिफ संरचना

7.1 इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत विद्युत की खरीद के लिए, प्रत्येक भुगतान अवधि (एक महीने से अधिक नहीं) के लिए टैरिफ का भुगतान तथा निपटान किया जाएगा। पृथक निश्चित प्रभार और टैरिफ के परिवर्तनशील प्रभार घटकों के साथ एक बहु-भागी टैरिफ संरचना बोली लगाने का आधार निर्मित करेगी।

7.2 निश्चित प्रभार:

निश्चित प्रभार की वसूली, आपूर्तिकर्ता द्वारा रु/केडब्ल्यूएच में उद्धृत प्रभारों के अनुसार, वास्तविक उपलब्धता पर आधारित होगी। 85% की मानक उपलब्धता की प्राप्ति पर पूर्ण निश्चित प्रभार वसूल किया जाएगा। उपलब्धता का वार्षिक रूप से मिलान किया जाएगा। बोलीदाता पीपीए के अंतर्गत आपूर्ति आरंभ होने के बाद पहले वर्ष के लिए लागू मूल निश्चित प्रभार उद्धृत करेगा। मूल निश्चित प्रभार पीपीए में निर्धारित कार्य पद्धति के अनुरूप डब्ल्यूपीआई में उतार-चढ़ाव के आधार पर बाद के वर्षों में बढ़ाया जाएगा।

7.3 परिवर्तनशील प्रभार:

आधार वर्ष के लिए आपूर्तिकर्ता का यह प्रस्ताव रु. ....(रुपये ....) प्रति केडब्ल्यूएच [ईंधन की लागत के रूप में रुपये ....(रुपये...) प्रति केडब्ल्यूएच तथा ईंधन परिवहन की लागत के रूप में रु....(रुपये....) प्रति केडब्ल्यूएच] के लिए होगा। "मूल परिवर्तनशील प्रभार" को पीपीए में निर्दिष्ट कार्य पद्धति के अनुरूप कोयला कंपनियों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोयले की लागत में वृद्धि तथा रेलवे द्वारा समय-समय पर अधिसूचित माल ढुलाई की लागत के आधार पर बाद के वर्षों में संशोधित किया जाएगा।

7.4 बोली में निर्दिष्ट प्रत्येक मूल निश्चित प्रभार तथा मूल परिवर्तनशील प्रभार उद्धृत टैरिफ का कम से कम 35% होगा।

7.5 यूटिलिटी का उत्तरदायित्व अंतर-राज्यीय पारेषण के संबंध में जीएनए की पर्याप्तता, पारेषण प्रभारों के भुगतान तथा हानि वहन करना होगा।

www.royalpatiala.in

7.6 आपूर्तिकर्ता का उत्तरदायित्व अंत:राज्यीय पारेषण के संबंध में पहुंच की व्यवस्था करना, पारेषण प्रभारों का भुगतान तथा हानि वहन करना होगा।

8 बोली प्रक्रिया

8.1 नोडल एजेंसी उत्पादन कंपनियों (इसके बाद बोलीदाताओं के रूप में संदर्भित) से बोलियां आमंत्रित करेगी तथा उनसे नोडल एजेंसी द्वारा इंगित विद्युत की एकीकृत आवश्यकता की पूर्ति के लिए चिन्हित कोयले के एक या एक से अधिक स्रोतों के लिए मूल निश्चित प्रभार, मूल परिवर्तनशील प्रभार (ईंधन लागत घटक और ईंधन परिवहन घटक) पृथक रूप से उद्धृत करने का अनुरोध करेगी।

8.2 नोडल एजेंसी बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित करने हेतु अनुमत न्यूनतम क्षमता निर्दिष्ट कर सकती है।

8.3 प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक स्रोत के निमित्त योग्य बोलीदाताओं की न्यूनतम संख्या कम से कम दो होगी। यदि किसी विशेष स्रोत के मामले में, यह पाया जाता है कि केवल 1 (एक) बोलीदाता ने बोली प्रस्तावित की है, तो नोडल एजेंसी ऐसे स्रोत के लिए बोली प्रक्रिया रद्द कर सकती है तथा अन्य स्रोतों के लिए बोलीदाताओं के चयन की कार्यवाही करेगी।

8.4 नोडल एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक मोड (दीप ई-बोली पोर्टल) के माध्यम से संचालित की जाने वाली एकल चरण बोली प्रक्रिया को अपनाते हुए बोलियां प्रस्तुत करने को कह सकती है।

8.5 इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप नोडल एजेंसी द्वारा संयुक्त आरएफक्यू एवं आरएफपी (चयन हेतु अनुरोध-आरएफएस) तथा पीपीए के प्रारूप सहित बोली दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। आरएफएस में कोयले की मात्रा, गुणवत्ता और स्रोत को निर्दिष्ट किया जाएगा।

8.6 नोडल एजेंसी आरएफएस नोटिस को व्यापक प्रचार के लिए, अपनी वेबसाइट तथा एक प्रमुख समाचार पत्र (अखित भारतीय) के साथ-साथ दीप ई-बोली पोर्टल और विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी।

8.7 बोलीदाताओं को तकनीकी तथा मूल्य बोलियां अलग-अलग प्रस्तुत करनी होंगी। मूल्य बोली में कुल क्षमता तथा तीन दशमलव स्थानों तक स्रोत-वार टैरिफ का प्रस्ताव शामिल होगा। इसमें उस न्यूनतम क्षमता को भी निर्दिष्ट किया जाएगा जिसे बोलीदाता, बोली मूल्यांकन के कारण बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित क्षमता से कम आवंटन होने की स्थिति में, स्वीकार करने को तैयार है।

8.8 बोलीदाताओं को बोलियों के साथ आवश्यक बोली प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी।

8.9 तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि प्रस्तुत की गई बोलियाँ सभी मूल्यांकन मापदंडों पर आरएफएस दस्तावेज़ में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं। मूल्य बोलियों पर और अधिक मूल्यांकन के लिए केवल आरएफएस में निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करने वाली बोलियों पर विचार किया जाएगा।

8.10 नोडल एजेंसी प्रत्याशित बोलीदाताओं को बोली-पूर्व सम्मेलन का अवसर प्रदान करेगी, तथा किसी भी बोलीदाता को बोली दस्तावेजों की लिखित व्याख्या प्रदान करेगी जिसे अन्य सभी बोलीदाताओं को भी उपलब्ध कराया जाएगा। सभी संबंधित पक्षकार पूरी तरह से लिखित संप्रेषण पर भरोसा करेंगे। बोली दस्तावेजों के संबंध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण या संशोधन पर्याप्त जानकारी के लिए दीप ई-बोली पोर्टल तथा नोडल एजेंसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। बोली दस्तावेजों का किसी भी प्रकार का पुनरीक्षण या संशोधन जारी किए जाने की स्थिति में, बोलीदाताओं को बोलियां प्रस्तुत करने के लिए, उक्त समय से कम से कम 7 (सात) दिनों की अवधि प्रदान की जाएगी।

9 बोली मूल्यांकन

9.1 बोली मूल्यांकन बकेट फिलिंग दृष्टिकोण के साथ स्रोतवार किया जाएगा।

www.royalpatiala.in

9.2 किसी स्रोत के मूल्यांकन पर विचार करने के लिए सूचीबद्ध किए गए बोलीदाताओं की सूची उस अंतिम बोलीदाता पर विचार करते हुए तैयार की जाएगी, जिसकी बोली उस स्रोत के लिए एल1 बोलीदाता के निश्चित प्रभार जमा परिवर्तनीय प्रभार के ईंधन घटक के 110% से कम या बराबर होगी।

9.3 बोलियों का मूल्यांकन कोयले की सबसे अधिक मात्रा वाले स्रोत से शुरू कर स्रोत-वार किया जाएगा। यदि दो स्रोतों की कोयले की मात्रा समान है, तो पहले बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत प्रति केडब्ल्यूएच न्यूनतम औसत मूल्य वाले स्रोत को लिया जाएगा।

9.4 किसी स्रोत के लिए न्यूनतम बोलीदाता (एल1) को उस स्रोत से अधिकतम कोयला आवंटित किया जाएगा, परंतु कोयले की मात्रा उस बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित क्षमता के अनुरूप होगी। तत्पश्चात, यदि उस स्रोत में कोयले की और मात्रा उपलब्ध होगी, तो उस एल1 के बाद वाले अगले न्यूनतम बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित मात्रा के लिए समाप्त माना जाएगा। यह शेष बोलीदाताओं के लिए तब तक जारी रहेगा जब तक कि अंतिम सूचीबद्ध किए गए बोलीदाता या स्रोत की मात्रा, जो भी पहले हो, समाप्त नहीं हो जाती।

9.5 यदि दो बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावित मूल्य एक समान हैं, तो पहले प्रति केडब्ल्यूएच कमतर निश्चित प्रभार उद्धृत करने वाले बोलीदाता का चयन किया जाएगा।

9.6 पूरी प्रक्रिया संपन्न करने के बाद, सभी सफल बोलीदाताओं के निमित्त न्यूनतम प्रस्तावित मात्रा की बाध्यता की जांच की जाएगी। यदि किसी बोलीदाता को आवंटित कुल मात्रा उसकी न्यूनतम प्रस्तावित मात्रा से कम है, तो ऐसे बोलीदाता को किए जाने वाले आवंटन पर विचार नहीं किया जाएगा और विद्युत खरीद की एकीकृत मात्रा उस सीमा तक संशोधित की जाएगी।

10 विभिन्न राज्यों को क्षमता का आवंटन:

10.1 प्रत्येक सफल बोलीदाता की क्षमता विभिन्न राज्यों के बीच आनुपातिक आधार पर आवंटित की जाएगी। उदाहरण के तौर पर, यदि एकीकृत विद्युत आवश्यकता 1000 मेगावाट (राज्य क: 500 मेगावाट, राज्य ख: 200 मेगावाट और राज्य ग: 300 मेगावाट) है तथा दो सफल बोलीदाता हैं (बी1: 600 मेगावाट और बी2: 400 मेगावाट), तो राज्य क को बी1 से 300 मेगावाट (= 600x 500/1000) और बी2 से 200 मेगावाट (= 400 x 500/1000) प्राप्त होगा। इसी प्रकार, प्रत्येक सफल बोलीदाता से प्रत्येक प्रतिभागी राज्य के लिए क्षमता आवंटन किया जाएगा।

10.2 किसी माह के लिए प्रत्येक आपूर्तिकर्ता (अर्थात सफल बोलीदाता) के लिए परिवर्तनीय प्रभार आवंटित लिंकेज कोयला स्रोतों से उस माह के दौरान खपत किए गए कोयले की भारित औसत लागत पर आधारित होगा।

10.3 पीपीए के निष्पादन के बाद, सफल बोलीदाताओं और संबंधित कोयला कंपनी के बीच एफएसए पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

11 भुगतान सुरक्षा

भुगतान सुरक्षा तथा अन्य संबंधित मामलों का निपटान बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले तक की स्थिति के अनुसार विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

12 अप्रत्याशित घटनाएं

अप्रत्याशित घटनाओं तथा उनके परिणामों की परिभाषा पीपीए में शामिल की जाएगी।

13 कानून में परिवर्तन

राज्यों/डिस्कॉमों को विद्युत विक्रय के व्यवसाय से लागत या राजस्व को प्रभावित करने वाले कानून में परिवर्तन की परिभाषा तथा परिणाम बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले तक की स्थिति के अनुसार विद्युत (कानून में परिवर्तन के कारण लागत की समय पर वसूली) नियम के प्रावधानों के अनुसार अभिशासित होंगे।

www.royalpatiala.in

14 बोली मूल्यांकन समिति

14.1 नोडल एजेंसी बोलियों के मूल्यांकन के लिए, कम से कम तीन सदस्यों की समिति (मूल्यांकन समिति) का गठन करेगी, जिनमें से कम से कम एक सदस्य वित्तीय मामलों तथा बोली मूल्यांकन का विशेषज्ञ होगा।

14.2 यदि वित्तीय बोली में, बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट अपेक्षाओं से कोई व्यतिक्रम पाया जाता है, तो इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

15 मध्यस्थता

पीपीए या टैरिफ के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में, यह पीपीए में निर्दिष्ट विवाद समाधान तंत्र के अधीन होगा।

16 टैरिफ अपनाना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के अनुसरण में उपयुक्त आयोग द्वारा इन दिशा-निर्देशों तथा इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप जारी किए गए मॉडल बोली दस्तावेजों के आधार पर निर्धारित टैरिफ अपनाया जाएगा।

17 व्यतिक्रम

नोडल एजेंसी द्वारा मॉडल बोली दस्तावेज़ों से कोई व्यतिक्रम केवल विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा। तथापि, शर्त यह है कि मॉडल बोली दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से अनुमत किसी परियोजना विशिष्ट संशोधन को मॉडल बोली दस्तावेजों से व्यतिक्रम नहीं माना जाएगा।

18 बोली प्रक्रिया की समय सारणी

एकल चरण बोली प्रक्रिया के लिए प्रस्तावित समय-सारणी नीचे दी गई है। नोडल एजेंसी विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर यहां दर्शाई गई विस्तारित समय-सीमा दे सकती है तथा ऐसे परिवर्तनों को इन दिशा-निर्देशों से व्यतिक्रम नहीं माना जाएगा।

	घटनाक्रम का विवरण	**तिथि एवं समय**
1.	आरएफएस का प्रकाशन	शून्य तिथि
2.	बोली दस्तावेज पर प्रश्न प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय	शून्य तिथि से 10 दिन
3.	बोली-पूर्व बैठक	शून्य तिथि से 15 दिन
4.	संभावित बोलीदाताओं के नवीनतम प्रश्नों का उत्तर	शून्य तिथि से 20 दिन
5.	आवेदन और बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय (बोली देय तिथि)	शून्य तिथि से 30 दिन
6.	केवल योग्यता आवश्यकता की सीमा तक आवेदन खोलना	शून्य तिथि से 30 दिन
7.	सूचीबद्ध और पूर्व-निर्धारित बोलीदाताओं को उनकी बोलियां खोलने की सूचना	बोली देय तिथि से 7 दिनों के भीतर
8.	योग्य बोलीदाताओं की बोलियों को खोलना और बोली मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करना	बोली देय तिथि से 15 दिनों के भीतर
9.	अवार्ड पत्र (एलओए) (चयनित बोलीदाता (बोलीदाताओं) को)	बोली मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के 10 दिनों के भीतर

www.royalpatiala.in

10.	बोलियों की वैधता	बोली देय तिथि के 120 दिन या जैसा कि पारस्परिक रूप से विस्तारित किया जाए
11.	पीपीए पर हस्ताक्षर करना (आवंटित क्षमता पर आधारित पारस्परिक आधार पर सफल बोलीदाताओं और क्रेता यूटिलिटियों के बीच)	एलओए अवार्ड किए जाने के 10 दिनों के भीतर

हेमन्त कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियंता

www.royalpatiala.in

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 20th October, 2022

Guidelines under Section 63 of the Electricity Act, 2003 for procurement of power on Finance, Own and Operate (FOO) basis under para B(v) of the SHAKTI Policy

No. 23/03/2022-R&R.—

1 Background

1.1. In order to allocate the available coal to thermal power plants all over the country, a new policy guideline was introduced by Ministry of Coal on 22nd May 2017 namely Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India (referred as the "SHAKTI Policy") with the objective of linking coal based on transparent and objective criteria for the optimal utilization of the natural resources.

1.2. Para B(v) of SHAKTI Policy provides as under:

"Power requirement of group of States can also be aggregated and procurement of such aggregated power can be made by an agency designated by Ministry of Power or authorized by such States on the basis of tariff based bidding. Coal linkages will be earmarked for such agencies by pre-declaring the availability of coal linkage with description, based on which such agency will undertake tariff based competitive bidding for long-term and medium-term procurement of power and recommend grant of these linkages to successful bidders. The methodology in this regard shall be formulated by Ministry of Power."

1.3. Subsequently, Ministry of Power issued an OM No L-2/2018-IPC (Part 4) dated 8.3.2019 on the subject "Approval of the Government on the recommendations of the Group of Ministers (GoM) constituted to examine the specific recommendations of High Level Empowered Committee (HLEC) constituted to address the issue of stressed thermal power projects" and para 2.1 (C) of the said OM states that :

"The provision of B(v) of the SHAKTI Policy above shall also be applicable in cases where the nodal agency designated by Ministry of Power aggregates/procures the power requirement for a group of states even without requisition from such states"

1.4. Accordingly, Ministry of Power, vide letter dated 11th May 2022, has conveyed "Methodology of allocation of coal as per provisions of Para B (v) of SHAKTI policy" to the Ministry of Coal.

1.5. Para 3 (h) of the aforesaid methodology, stipulates that on the basis of sources of coal communicated by the coal companies, the Nodal Agency shall undertake tariff based competitive bidding for Long-term or Medium-term procurement of power on the basis of guidelines issued by

the Ministry of Power under Section 63 of the Electricity Act, 2003. These guidelines are being issued to fulfill this requirement.

2 Objective

Objective of these guidelines is to facilitate procurement of power on long-term and medium-term basis by the Nodal Agency through transparent bidding to meet power requirement of group of states with coal linkage as per para B(v) of the SHAKTI Policy.

3 Scope of the Guidelines

These guidelines are being issued under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 for procurement of electricity by States/ distribution licensees (Procurer) for:

(a) long-term procurement of electricity for a period of 12 years to 15 years;

(b) Medium term procurement for a period of up to 7 years but exceeding 1 year.

These Guidelines shall come into effect from the date of publication in the official gazette.

4 Commencement of Supply

Date of commencement of Supply under the contract shall not be less than 120 days for medium term contract and not less than 1460 days for long term contract.

5 The Nodal Agency

5.1 The Nodal Agency shall be responsible for conducting the bid process for procurement of power under para B(v) of the SHAKTI Policy under tariff-based competitive bidding in accordance with these guidelines.

5.2 PFC Consulting Limited, a wholly owned subsidiary of Power Finance Corporation Limited has been designated as the Nodal Agency by Ministry of Power for the purpose of procurement of power under para B(v) of SHAKTI Policy. Alternatively, a group of States may also appoint a Nodal Agency of their choice.

5.3 All the prospective Bidders shall be able to participate in the e-Bidding process on making payment of the requisite fees of Rs. 8000 (Rupees Eight Thousand) per MW plus applicable taxes as per the Bidding Documents to the Nodal Agency. After completion of the bidding process i.e. issuance of Letter of Award to Successful Bidder, only Successful Bidder(s) will have to pay the equivalent charges for the quantum allocated to each Successful Bidder. The balance amount shall be refunded by the Nodal Agency within seven (7) working days of completion of the bidding process without any interest. The fees deposited by non-Selected Bidders(s) shall also be refunded by the Nodal Agency within seven (7) working days of completion of the bidding process i.e. issuance of Letter of Award to Successful Bidder without any interest.

6 Preparation for inviting bids

6.1 The Nodal Agency shall aggregate the requirement of power of a group of States for medium term or long term basis in terms of quantum (MW) and duration (period) including the date of commencement for supply of power. The Nodal Agency may also initiate procurement of long term or medium term power for group of States based on broad demand assessment on the basis of consultation with the States.

6.2 Based on the quantum and period of power to be procured, the Nodal Agency shall work out the quantity of domestic coal required on the basis of CEA norms and the estimated commencement date of supply.

6.3 Ministry of Power shall send the request for coal requirement along with duration and estimated date of commencement of coal supply to the Ministry of Coal for further consideration.

www.royalpatiala.in

6.4 Sources of coal shall be identified by the Coal India Ltd and /or any of its subsidiary or Singareni Collieries Company Ltd as per requisition received from the Nodal Agency and letter of intent shall be issued to the Nodal Agency.

7 Tariff Structure

7.1 For procurement of electricity under these guidelines, the tariff shall be paid and settled for each payment period (not exceeding one month). A multi-part tariff structure with separate Fixed Charge and Variable Charge components of tariff shall form the basis for bidding.

7.2 Fixed Charge:

Fixed Charge recovery shall be based on actual availability, as per charges quoted by supplier in Rs/kWh. Full Fixed Charge will be recovered on achievement of normative availability of 85%. Availability shall be reconciled annually. The bidder shall quote Base Fixed Charge applicable for the first year after commencement of supply under PPA. The Base Fixed Charge shall be escalated in subsequent years based on variation in the WPI in accordance with the methodology prescribed in the PPA.

7.3 Variable Charges:

The offer of the Supplier for the Base Year, shall be Rs. ....(Rupees ....) per kWh, [comprising Rs....(Rupees...) per kWh as the cost of Fuel and Rs....(Rupees....) per kWh as the cost of fuel transportation]. The “Base Variable Charge” shall be revised in subsequent years based on the increase in cost of coal notified by the coal companies from time to time and cost of freight notified by the Railways from time to time in accordance with methodology specified in the PPA.

7.4 The Base Fixed Charge and the Base Variable Charge specified in the bid shall each be at least 35% of the quoted Tariff.

7.5 Responsibility for adequacy of GNA, payment of transmission charges and for bearing losses in respect of inter-state transmission shall be that of the Utility.

7.6 Responsibility for arranging access, payment of transmission charges and for bearing losses in respect of intra-state transmission shall be that of the supplier.

8 Bidding process

8.1 The Nodal Agency shall invite bids from generating companies (herein after referred to as bidders) and shall request them to quote Base Fixed Charge, Base Variable Charge (Fuel cost component and Fuel transportation component) separately for one or more sources of coal identified to meet the aggregate requirement of power indicated by the Nodal Agency.

8.2 The Nodal Agency may specify a minimum capacity allowed to be offered by a bidder.

8.3 To ensure competitiveness, the minimum number of qualified bidders against each source shall be at least two. If, in case of a particular source, it is found that only 1 (one) bidder has offered the bid, the Nodal Agency may cancel the bidding process for such source and shall proceed with selection of bidders for other sources.

8.4 The Nodal Agency shall call for the bids adopting a single stage bidding process to be conducted through Electronic mode (DEEP e-bidding Portal).

8.5 The Bidding Documents including the combined RfQ & RfP (Request for Selection-RfS) and draft PPA shall be prepared by the Nodal Agency in consonance with these Guidelines. The quantum, quality and source of coal shall be specified in the RfS.

www.royalpatiala.in

8.6 The Nodal Agency shall publish the RfS notice on the DEEP e-Bidding Portal, and website of the Ministry of Power along with its own website and one leading newspaper (PAN INDIA), to accord wide publicity.

8.7 The bidders shall be required to submit separate technical and price bids. The Price bid shall include offer of total capacity and source wise tariff up to three decimal places. It shall also specify the minimum capacity that the bidder is willing to accept in case bid evaluation leads to allocation of capacity lower than that offered by the bidder.

8.8 Bidders shall be required to furnish necessary Bid security along with the bids.

8.9 The technical bids shall be evaluated to ensure that the bids submitted meet the eligibility criteria set out in the RfS document on all evaluation parameters. Only the bids that meet the evaluation criteria set out in the RfS shall be considered for further evaluation on the price bids.

8.10 The Nodal Agency shall provide opportunity for pre-bid conference to the prospective bidders, and shall provide written interpretation of the bid documents to any bidder which shall also be made available to all other bidders. All the concerned parties shall rely solely on the written communication. Any clarification or revision to the bidding documents shall be uploaded on the DEEP e-Bidding portal and website of the Nodal Agency for adequate information. In the event of the issuance of any revision or amendment of the bidding documents, the bidders shall be provided a period of at least 7 (seven) days there from, for submission of bids.

www.royalpatiala.in

9 Bid Evaluation

9.1 The bid evaluation shall be done source wise with bucket filling approach.

9.2 The list of Shortlisted bidders for consideration of evaluation for a source shall be arrived at by considering the last bidder whose bid is less than or equal to 110% of Fixed Charge plus fuel component of Variable charge of the L1 bidder for that source.

9.3 The bids shall be evaluated source wise starting with the source with highest quantity of coal. In case two sources have equal coal quantity, the source having the lowest average price per kWh quoted by the bidders shall be taken up first.

9.4 The lowest bidder (L1) for a source shall be allocated maximum coal from that source subject to coal quantity commensurate with the capacity offered by that bidder. Thereafter, if further quantity of coal is available in that source, the quantity offered by the next lowest bidder after L1 shall be exhausted. This will continue for the remaining bidders until the last Shortlisted Bidder or the source quantity is exhausted, whichever is earlier.

9.5 In case there is a tie between the prices offered by two bidders, the bidder quoting lower Fixed Charge per kWh shall be selected first.

9.6 After completing the entire process, the constraint for minimum offer quantity shall be checked against all the successful bidders. In case any bidder is allocated a total quantity which is less than its minimum offered quantity, the allocation to such bidder shall not be considered and aggregate quantity of power procurement shall get modified to that extent.

10 Allocation of Capacity to Various States:

10.1 The Capacity of each successful bidder shall be allocated amongst various states on proportionate basis. By way of illustration, if aggregate power requirement is 1000 MW (State A: 500 MW, State B: 200 MW and State C:300 MW) and there are two successful bidders (B1: 600 MW and B2: 400 MW), State A will get 300 MW (=600x 500/1000) from B1 and 200 MW (=400 x 500/1000) from B2. Similar, capacity allocations shall be made for each participating state from each successful bidder.

10.2 The variable charge for each supplier (i.e. successful bidder) for a month shall be based on weighted average cost of the coal consumed during that month from allocated linkage coal sources.

10.3 After execution of PPA, FSA shall be signed between the successful bidders and respective coal company.

11 Payment Security

Payment security and other related issues shall be dealt with in accordance with the provisions of Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules as on the 7 days prior to the last date of bid submission.

12 Force Majeure

Definition of Force Majeure Events and its consequences shall be incorporated in the PPA.

13 Change in law

The definition and consequences of change in law impacting cost or revenue from the business of selling electricity to the States/DISCOMs shall be governed in accordance with the provisions of Electricity (Timely recovery of Costs due to Change in Law) Rules as on 7 days prior to the last date of bid submission.

14 Bid Evaluation Committee

14.1 The Nodal Agency shall constitute a committee for evaluation of the bids (Evaluation Committee), with at least three members, including at least one member with expertise in financial matters and bid evaluation.

14.2 The financial bid shall be rejected if it contains any deviation from the requirements specified in the bid documents.

15 Arbitration

In case of any dispute regarding PPA or tariff, the same shall be subject to dispute resolution mechanism, specified in the PPA.

16 Adoption of Tariff

The tariff determined based on these Guidelines and the Model Bidding Documents issued in consonance with these guidelines shall be adopted by the Appropriate Commission in pursuance of the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003.

17 Deviation

Any deviation from the Model Bidding Documents shall be made by the Nodal Agency only with the prior approval of the Ministry of Power, Government of India. Provided, however, that any project specific modifications expressly permitted in the Model Bidding Documents shall not be construed as deviations from the Model Bidding Documents.

18 Time table for Bid process

A suggested time-table for the Single stage bid process is indicated below. The Nodal Agency may give extended time-frame indicated herein based on the prevailing circumstances and such alterations shall not be construed to be deviation from these guidelines.

	Event Description	Date and Time
1.	Publication of RfS	Zero Date
2.	Last date and time for receiving queries on Bidding	10 days from Zero Date

www.royalpatiala.in

	Document	
3.	Pre-Bid Meeting	15 days from Zero Date
4.	Response to queries latest by the potential bidders	20 days from Zero Date
5.	Last date and time of submission of application and bid (Bid Due Date)	30 days from Zero Date
6.	Opening of Application to the extent of only qualification requirement	30 days from Zero Date
7.	Intimation to short-listed and pre-qualified Bidders for opening of their Bids	Within 7 days of Bid Due Date
8.	Opening of Bids of qualified bidders and completion of bid evaluation process	Within 15 days of Bid Due Date
9.	Letter of Award (LoA) [to Selected Bidder(s)]	Within 10 days of the completion of bid evaluation process
10.	Validity of Bids	120 days of Bid Due Date or as may be mutually extended
11.	Signing of PPAs (between successful bidders and procuring Utilities on one to one basis based on allocated capacity)	Within 10 days of award of LoA

HEMANT KUMAR PANDEY, Chief Engineer

www.royalpatiala.in

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.